

कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला- सिंगरौली (म0प्र0)

E-mail Id: deo.singroli@mpexcise.org

वर्ष 2017-18 के लिये ई-टेंडर के द्वारा देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन बाबत

सिंगरौली, दिनांक-

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर टेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2017-18 के लिये अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए दिनांक 07.03.2017 को निष्पादन से शेष रही देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों (जिन्हें आगे मदिरा दुकानों/एकल समूहों के नाम से सम्बोधित किया गया है) का निष्पादन निम्न प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाकर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा किया जाएगा।

1. निष्पादन की प्रक्रिया :-

1.1 वर्ष 2017-18 के लिए नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादन के अभाव में निष्पादन से शेष रही देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन ई-टेंडर द्वारा प्रस्तुत ऑफर के आधार पर निम्नानुसार टाईम टेबल अनुसार कलेक्टोरेट सिंगरौली में किया जावेगा-

तृतीय चरण में ई-टेंडर के माध्यम से मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की तिथियां एवं कार्यक्रम:-

क्र.	विवरण	तिथि व समय
1.	ई-टेंडर हेतु ऑन-लाईन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड करने का समय एवं तिथियां	दिनांक 09 मार्च 2017 से दिनांक 10 मार्च 2017 दोपहर 01:00 बजे तक।
2.	ऑन-लाईन ई-टेंडर आफर सबमिट करने का अंतिम समय एवं तिथि	दिनांक 16 मार्च 2017 दोपहर 03:30 बजे तक।
3.	जिला समिति द्वारा ई-टेंडर के निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 16 मार्च 2017 को सायंकाल 04:30 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

1.2 ई-टेंडर द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों में स्थित मदिरा दुकानों का स्थान, प्रकार, आरक्षित मूल्य, जमा की जाने वाली धरोहर राशि की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र0	मदिरा दुकान/एकल समूह का क्रमांक व नाम	एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों के नाम	एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों का वर्गीकरण (देशी/विदेशी मदिरा)	लायसेंस का वर्गीकरण (ऑन/ऑफ)	वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि (कॉलम 6 का 5 प्रतिशत)	ई-टेंडर प्रपत्र के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि (कॉलम नं 7 का 50 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चदुली SGI एफ-5	चदुली	विदेशी मदिरा	ऑफ	41047910	2052396	1026198
		चदुली	देशी मदिरा	आन	9716182	485809	242905
		सरसवाह	देशी मदिरा	आन	22680731	1134037	567019
		सिम्लेक्स कालोनी	देशी मदिरा	आन	4755175	237759	118880
		योग			78199999	3910000	1955000
2	जयन्त SGI एफ-4	जयन्त	विदेशी मदिरा	ऑफ	36377453	1818873	909437
		जयन्त	देशी मदिरा	आन	8435713	421786	210893
		बनौली	देशी मदिरा	आन	5022082	251104	125552
		योग			49835249	2491762	1245881
3	बरगंवा SGI एफ-7	बरगंवा	विदेशी मदिरा	ऑफ	26480000	1324000	662000
		डगा	देशी मदिरा	आन	17255778	862789	431395
		योग			43735778	2186789	1093395


Distt. Excise Officer,
Distt. Singrauli (M.P.)

घटका SGI एफ-9	घटका	विदेशी मदिरा	ऑफ	17054307	852715	426358
	पजरेह	देशी मदिरा	आन	7781964	389098	194549
	झिगुरदा कारवाही	देशी मदिरा	आन	5446947	272347	136174
	योग			30283218	1514161	757081
	महायोग			202054244	10102712	5051356


ई-टेंडर क्रय करने, भरने तथा जमा करने की प्रक्रिया आदि की जानकारी मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास नियम कि पोर्टल (www.mpeproc.gov.in) पर उपलब्ध रहेगी । इच्छुक टेंडरदाता उक्त पोर्टल से ही ई-टेंडर फार्म डाउनलोड तथा भरा हुआ फार्म संलग्नको सहित अपलोड कर सकेंगे ।

कोई भी समान्य व्यक्ति www.mpeproc.gov.in के होमपेज पर लाईव टेंडर के आप्शन के अंतर्गत आबकारी विभाग का चयन कर एडवांस सर्च के माध्यम से वांछित जिले की मदिरा दुकानों/एकल समूहों की जानकारी प्राप्त कर सकता है ।


ई-टेंडर के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों के संबंध में आवश्यक जानकारी तथा प्रभावशील शर्तें एवं नियम संबंधी जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सिंगरौली से प्राप्त की जा सकती है । कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी से पोर्टल पर निविदा भरने की प्रक्रिया की जानकारी भी ली जा सकेगी ।

- निष्पादित की जाने वाली देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के नियमों, विक्रय ज्ञापन, ड्यूटी दर, खपत आदि की जानकारी जिला आबकारी कार्यालय सिंगरौली से दिनांक 10 मार्च 2017 से प्रातः 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है ।
- टेंडर प्रपत्र का मूल्य- वर्ष 2017-18 के लिये ई-टेंडर का मूल्य प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) प्रभारित होगा ।
- राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर मदिरा दुकानों की अवस्थिति -माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील क्रमांक 12164-12166/2016 में पारित आदेश के पालन में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग पर स्थित देशी मदिरा दुकान नौढिया एवं विदेशी मदिरा दुकान नौढिया व घटका को दिनांक 1.4.2017 से 500 मीटर से अधिक दूरी पर संचालित होने हेतु जिला समिति द्वारा अनुमोदित दिनांक 12.01.2017 के अनुसार देशी मदिरा दुकान नौढिया को ग्राम समदा एवं विदेशी मदिरा दुकान नौढिया को ग्राम समदा व घटका को झिगुरदा करवाही में आपत्ति रहित स्थल पर स्थान्तरित कर संचालन किया जावेगा ।
- मदिरा दुकानों का नाम परिवर्तित - देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा दुकान जिस नाम से स्वीकृत है, वह उससे भिन्न नाम से संचालित है, ऐसी मदिरा दुकान के पूर्व नाम को परिवर्तित किया जाकर उसे वर्तमान स्थान पर ही, वर्तमान स्थान के नाम से, नाम दिया गया है ।
- मुख्य शर्तें/निर्बन्धन/निर्बन्धनों की विस्तृत जानकारी वेबसाईड www.govtpressmp.gov.in से राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक 27 दिनांक 18 जनवरी 2017 अपलोड कर प्राप्त की जा सकती है । तथा जिला आबकारी कार्यालय सिंगरौली से भी कार्यालयीन दिवसों के कार्यालयीन समय में जिले के लिए तैयार घोषा विक्रय शर्त निर्धारित मूल्य पर प्राप्त की जा सकती है ।

कलेक्टर द्वारा आदेशित


जिला आबकारी अधिकारी
सिंगरौली (म0प्र0)

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वाणिज्यिक कर विभाग, बल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त जनसंपर्क, भोपाल की ओर विज्ञप्ति की प्रतियाँ भेजकर निवेदन है कि कम से कम 02 स्थानीय स्तर के समाचार पत्र, 02 राज्य स्तर के समाचार पत्र, 03 संभाग स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का कष्ट करे ।
4. अपर आबकारी आयुक्त, राज्यस्तरीय उडनदस्ता भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. पुलिस अधीक्षक सिंगरौली की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत) सिंगरौली की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7. समस्त उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता संभाग..... की ओर सूचनार्थ ।
8. समस्त सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी जिलाकी ओर सूचनार्थ ।
9. सहायक संचालक, जनसंपर्क जिला सिंगरौली की ओर अग्रि त कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का समाचार के रूप में स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करावें ।
10. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कसये जाने हेतु ।
- ✓ 11. प्रभारी अधिकारी जिला सूचना केन्द्र (NIC) जिला सिंगरौली की ओर जिले की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
12. सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रभारी बृत्त- बैढन, मोरवां, देवसर एवं सरई जिला सिंगरौली की ओर लेख है कि आप आज से ही वर्ष 2017-18 के मदिरा दुकानो/एकल समूहो के निशपादन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संपर्क कर प्रेरित करे ।
13. प्रभारी अधिकारी देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागार बैढन की ओर विज्ञप्ति नोटिस बोर्ड पर तुरंत आज ही चस्पा किये जाने एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ।


जिला आबकारी अधिकारी
सिंगरौली (म0प्र0)